

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
सिविल अपील की क्षेत्राधिकार

रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019

एमके रंजीतसिंह एवं अन्य

... याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

...प्रतिवादी

और सिविल अपील संख्या 3570/2022 के साथ

हेडनोट्स

पर्यावरण – जैव विविधता – जलवायु परिवर्तन – नवीकरणीय ऊर्जा – मौलिक अधिकार – अनुच्छेद 21 – स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार – गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियाँ – ग्रेट इंडियन बस्टर्ड-
निर्णय- स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण के अधिकार में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्ति शामिल है तथा इसे अनुच्छेद 21 और 14 के तहत संरक्षित किया गया है।-ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राथमिकता वाले और संभावित आवासों में ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाले 2021 के निर्देश को संशोधित किया गया है। न्यायालय ने भूमिगत केबल बिछाने की व्यवहार्यता निर्धारित करने, वैकल्पिक सुरक्षा उपायों (जैसे, पक्षियों को दूर भगाने वाले उपकरण) की सिफारिश करने तथा क्षेत्र-विशिष्ट संरक्षण उपायों की पहचान करने के लिए एक पुनर्गठित विशेषज्ञ समिति का गठन किया। 2021 के निर्णय के निर्देशों को साइट-संवेदनशील, तकनीकी रूप से सूचित ढांचे से प्रतिस्थापित किया गया।

निर्णय

डॉ धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई

विषय सूची

ए. द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड.....	3
बी. 19 अप्रैल 2021 का निर्णय और उसके बाद के घटनाक्रम	6
सी. जलवायु परिवर्तन से निपटने का मिशन.....	12
I. अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत भारत की प्रतिबद्धता	12
II. स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रहने का अधिकार	17
III. अक्षय ऊर्जा के स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा का महत्व	26
IV. अन्य न्यायालयों में जलवायु परिवर्तन मुकदमेबाजी	31
D. 19 अप्रैल 2021 के निर्णय में संशोधन के कारण	34

1. इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड¹ और लेसर फ्लोरिकन को बचाने के लिए किया गया है, जो दोनों विलुप्त होने के कगार पर हैं। इस मुद्दे के महत्व को देखते हुए, इस मामले से संबंधित विभिन्न पहलुओं की संक्षिप्त पृष्ठभूमि नीचे चर्चा की गई है।

A. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

2. GIB (जिसका वैज्ञानिक नाम अर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स है) दक्षिणी और पश्चिमी भारत का मूल निवासी है। यह आमतौर पर घास के मैदानों या शुष्क क्षेत्रों में रहता है। राजस्थान राज्य वर्तमान आबादी के बहुमत का घर है। समय के साथ, देश ने GIB की आबादी में तेजी से और स्थिर गिरावट देखी है। 2018 तक, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, या IUCN जैसा कि इसे लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, ने GIB को 'गंभीर रूप से लुप्तप्राय' प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया। IUCN की वर्गीकरण प्रणाली में, केवल दो श्रेणियां किसी विशेष प्रजाति के लिए गंभीर खतरे का संकेत देती हैं - 'जंगली में विलुप्त' और 'विलुप्त'। GIB को 2011 से लेकर 2018 में सबसे हालिया मूल्यांकन तक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 1994 से 2008 तक, इसे 'लुप्तप्राय' के रूप में वर्गीकृत किया गया था और 1988 में इसे 'संकटग्रस्त' करार दिया गया था। आईयूसीएन ने जीआईबी को गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में वर्गीकृत करने के औचित्य को निम्न शब्दों में नोट किया है:²

“इस प्रजाति को गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है क्योंकि इसकी आबादी बहुत कम है, जो आवास की हानि और गिरावट, शिकार और प्रत्यक्ष गड़बड़ी सहित कई खतरों के कारण बहुत तेजी से घटी है। अब इसे लक्षित करने में तत्काल तेजी लाने की आवश्यकता है संरक्षण कार्यवाहियों की जानी चाहिए ताकि इसे कुछ दशकों में कार्यात्मक रूप से विलुप्त होने से बचाया जा सके।”

3. राजस्थान सरकार ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2013³ में केवल लगभग 125 जीआईबी मौजूद थे 3 जबकि आईयूसीएन ने परिपक्व जीआईबी की संख्या 50 से 249⁴ के बीच बताई है। 4 इन प्रजातियों की मौजूदा आबादी की घटती संख्या और प्रजनन की कम दर पर महत्वपूर्ण कारक हैं। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, शिकारी और आक्रामक प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा कई खतरों में से हैं जो इन कमजोर प्रजातियों के सामने आने वाली चुनौतियों को बढ़ाते हैं। इन लुप्तप्राय पक्षियों की मौजूदा आबादी के क्षय को आंशिक रूप से ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। जीआईबी आमतौर पर एक ही अंडा देते हैं, जिसकी ऊष्मायन अवधि लगभग एक महीने होती है। जीआईबी खुले मैदान में या मिट्टी में गुहाओं में घोंसला बनाते हैं। नतीजतन, उनके अंडे भी जमीन पर रखे जाते हैं और सेते हैं। इसलिए अंडों को स्थानीय शिकारियों जैसे नेवले, मॉनिटर छिपकली और अन्य पक्षियों द्वारा शिकार किए जाने का खतरा होता है। घास के मैदानों में चरते समय गायें अंडों को रौंद सकती हैं या कुचल सकती हैं। आवास का नुकसान भी एक गंभीर चिंता का विषय है। जैसे-जैसे मनुष्यों ने घास के मैदानों में अपनी बस्तियों और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार किया है, जीआईबी का प्राकृतिक आवास कम होता गया है। मानव आबादी के विस्तार और उसके साथ होने वाली गतिविधियों के कारण

जीआईबी के आवास का विखंडन भी हुआ है। सड़कों, खनन और खेती की गतिविधियों जैसे बुनियादी ढाँचे के विस्तार ने पक्षी प्रजातियों के सामने आने वाले खतरों में संचयी रूप से योगदान दिया है।

4. जीआईबी की घटती आबादी और उन पर मंडरा रहे अस्तित्व के खतरे के संदर्भ में, अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए एक रिट याचिका - रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 - प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित निर्देश प्राप्त करने के लिए शुरू की गई थी। याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ यह मांग की कि यह न्यायालय:

क. जीआईबी के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना को तत्काल तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश जारी करें, जिसमें पक्षी डायवर्टर की स्थापना के निर्देश, नई परियोजनाओं की मंजूरी पर तत्काल प्रतिबंध और मौजूदा परियोजनाओं के पट्टों का नवीनीकरण, महत्वपूर्ण आवासों में और उसके आसपास बिजली लाइनों, पवन टर्बाइनों और सौर पैनलों को हटाना, प्रजनन आवासों में शिकारी-रोधी बाड़ों की स्थापना, कुत्तों के लिए जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन, महत्वपूर्ण और अर्ध-महत्वपूर्ण आवासों में नो-चारागाह क्षेत्र और प्रतिबंधित चरागाह क्षेत्र का प्रावधान, महत्वपूर्ण आवासों के 5 किमी के दायरे में कीटनाशकों और कीटनाशकों के उपयोग पर प्रतिबंध और महत्वपूर्ण और अर्ध-महत्वपूर्ण आवासों में और उसके आसपास घास के मैदानों के अतिक्रमण पर प्रतिबंध शामिल हैं;

ख. जैसलमेर, सोरसन और वेलावदर में प्रजनन केंद्रों की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संबंधित प्रतिवादियों को निर्देश जारी करें;

ग. संबंधित प्रतिवादियों को घास के मैदानों के संरक्षण के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के निर्देश जारी करना, जिसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि शेष घास के मैदानों को 'बंजर भूमि' के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाए और अन्य उपयोगों के लिए नहीं बदला जाए, घास के मैदानों के संरक्षण की नीति अपनाई जाए और राष्ट्रीय चराई नीति अपनाई जाए;

डी. रक्षा मंत्रालय (प्रतिवादी संख्या 2) को निर्देश जारी करें कि वे सशस्त्र बलों को जीआईबी के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में संवेदनशील बनाएं और संरक्षण प्रयासों में वैज्ञानिक निकायों के साथ सहयोग करें;

ई. न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के कार्यान्वयन की देखरेख करने, लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके आवासों को संरक्षित और प्रबंधित करने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति की नियुक्ति की जाए; और

एफ. एक घोषणा जारी की जाए कि दोनों लुप्तप्राय पक्षी राष्ट्र की एक मेटा आबादी का गठन करते हैं और सभी राज्य प्राधिकरण सहयोग करने और उनके संरक्षण को सुनिश्चित करने और अधिकार प्राप्त समिति के निर्णयों को लागू करने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाने के लिए बाध्य हैं।

बी. 19 अप्रैल 2021 का निर्णय और उसके बाद का घटनाक्रम

5. इस न्यायालय के दिनांक 19 अप्रैल 2021 के आदेश में लगभग 99,000 वर्ग किलोमीटर के बड़े क्षेत्र में ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना पर प्रतिबंध लगाए गए थे। ये निर्देश रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 में IA संख्या 85618/2020 में दिए गए थे। परिचालन निर्देशों में, इस न्यायालय ने कहा:

" 14. मामले के इस पहलू पर दिए गए तर्कों के आलोक में, हम जानते हैं कि भूमिगत बिजली लाइन, खासकर उच्च वोल्टेज की, बिछाना हालांकि असंभव नहीं है, लेकिन इसके लिए मामले-दर-मामला आधार पर तकनीकी मूल्यांकन की आवश्यकता होगी और एक समान विधि निर्धारित करके एक सर्वव्यापी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है और तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखे बिना निर्देश जारी नहीं किए जा सकते हैं। हालांकि स्थिति ऐसी ही हो, लेकिन आम सहमति यह होगी कि जीआईबी के प्राथमिकता और संभावित आवासों में बिछाई जाने वाली सभी कम वोल्टेज वाली बिजली लाइनें सभी मामलों में बिछाई जाएंगी। भविष्य में भूमिगत जीआईबी के प्राथमिकता और संभावित आवासों में वर्तमान में मौजूद कम वोल्टेज ओवरहेड पावरलाइनों के संबंध में, उन्हें भूमिगत पावरलाइनों में परिवर्तित किया जाएगा। जीआईबी के प्राथमिकता और संभावित आवासों में उच्च वोल्टेज पावरलाइनों के संबंध में, विशेष रूप से आईए संख्या 85618/2020 के प्रार्थना कॉलम में संदर्भित और इस आदेश के परिचालन भाग में इंगित पावरलाइनों को भूमिगत पावर लाइन में परिवर्तित किया जाएगा।"

6. इस न्यायालय ने उच्च वोल्टेज भूमिगत बिजली लाइनों को बिछाने की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए एक समिति नियुक्त की। अपने आदेश के पैराग्राफ 18 में, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि सभी मामलों में जहां प्राथमिकता और संभावित जीआईबी क्षेत्रों में आज की तारीख में ओवरहेड बिजली लाइनें मौजूद हैं, ओवरहेड बिजली लाइनों को भूमिगत बिजली लाइनों में बदलने पर विचार किए जाने तक पक्षी डायवर्टर लगाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा, न्यायालय ने निर्देश दिया कि सभी मामलों में, जहां ओवरहेड लाइनों को भूमिगत बिजली लाइनों में बदलना संभव पाया जाता है, इसे एक वर्ष के भीतर शुरू और पूरा किया जाना चाहिए।

7. इस न्यायालय के आदेश को समिति द्वारा मामले को स्वीकार करते हुए क्रियान्वित किया गया है- उन परियोजनाओं के लिए विशिष्ट प्रतिबंध जहां भूमिगत होना संभव नहीं पाया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 3 और 4 (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय) ने इस न्यायालय के 19 अप्रैल 2021 के निर्णय द्वारा जारी निर्देशों में संशोधन के लिए 17 नवंबर 2021 को IA संख्या 149293/2021 दायर की। जिन आधारों पर संशोधन की मांग की गई थी, उन्हें संक्षेप में नीचे दर्शाया गया है:

क. इस निर्णय का भारत के विद्युत क्षेत्र पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जीवाश्म ईंधन से दूर पृष्ठ और ऊर्जा संक्रमण;

ख. निर्णय पारित करने से पहले प्रतिवादी संख्या 4 को नहीं सुना गया;

सी. भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन में परिवर्तन और उत्सर्जन में कमी के लिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन⁵ के तहत 2015 में पेरिस में हस्ताक्षरित समझौते सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं की हैं। जिस क्षेत्र के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे, वह उस वास्तविक क्षेत्र से बहुत बड़ा है जिसमें जीआईबी रहते हैं। इसके अलावा, उस क्षेत्र में देश की सौर और पवन ऊर्जा क्षमता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है;

(घ) उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों को भूमिगत करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है; तथा

(ङ) कोयले से चलने वाली बिजली, जिसका उपयोग संबंधित क्षेत्र में नवीकरणीय स्रोतों से अप्रयुक्त ऊर्जा को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाएगा, प्रदूषण का कारण बनेगी।

8. दिनांक 19 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश दिए:

“1 भारत के अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि इस न्यायालय के समक्ष एक व्यापक स्थिति रिपोर्ट दायर की जाएगी जिसमें केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित आगे का रास्ता दर्शाया जाएगा जिसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण की आवश्यकता, जिसके विलुप्त होने का खतरा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए सौर ऊर्जा के विकास को सुनिश्चित करने की आवश्यकता, दोनों को ध्यान में रखा जाएगा।

2 भारत संघ अपनी स्थितिरिपोर्ट रिकार्ड पर रखेगा...

3 इस बीच, हम (i) गुजरात और राजस्थान राज्यों के मुख्य सचिवों; और (ii) इस न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति को अद्यतन स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हैं।

...”

9. इस आदेश के अनुपालन में, भारत संघ ने एक अतिरिक्त हलफनामा और एक अद्यतन, व्यापक स्थिति रिपोर्ट दायर की है। अपने हलफनामे के दौरान, भारत संघ ने प्रस्तुत किया है कि:

ए. जीआईबी की आबादी में कमी 1960 के दशक में शुरू हुई, जो क्षेत्र के विद्युतीकरण और ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण से बहुत पहले की बात है। शोध से पता चलता है कि घटती आबादी के कारणों में कम जन्म दर, अवैध शिकार, आवास विनाश और शिकार शामिल हैं। कीटनाशकों और कीटनाशकों के उपयोग के परिणामस्वरूप टिड्डे और घास-फूस की संख्या में कमी आई है, जो जीआईबी के शिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है। पशुधन की आबादी भी बढ़ गई है जिसके कारण चरागाहों में अत्यधिक चराई हुई है;

ख. इस न्यायालय द्वारा उच्च वोल्टेज, या जैसा भी मामला हो, निम्न वोल्टेज लाइनें भूमिगत बिछाने के निर्देश को लागू करना व्यावहारिक रूप से असंभव है;

ग. केंद्र सरकार ने भारत के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्धता जताई है और सौर ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का सहारा लेना भारत के कार्बन उत्सर्जन को कम करने की कुंजी प्रदान करता है। इन प्रतिबद्धताओं का कार्यान्वयन;

घ. भारत संघ तथा संबंधित राज्य सरकारें जीआईबी की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए व्यापक कदम उठा रही हैं। वे हैं:

i. जीआईबी को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची I के भाग III में सूचीबद्ध किया गया है। इस क़ानून के अनुसार अनुसूची I में सूचीबद्ध प्रजातियों को शिकार से उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की जाती है;

ii. 'वन्यजीव आवासों का विकास' नामक केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत, जीआईबी के आवास के संरक्षण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है;

iii. राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के वन विभाग, भारतीय वन्यजीव संस्थान,⁶ देहरादून के सहयोग से, जंगल में छोड़ने के लिए प्रजातियों की एक बंदी आबादी का निर्माण करने और प्रजातियों के इन-सीटू संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संरक्षण प्रजनन कर रहे हैं;

iv. भारत सरकार ने 2016 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के आवास सुधार और संरक्षण प्रजनन' नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसे राजस्थान सरकार के सहयोग के साथ लागू किया जा रहा है।;

v वर्तमान में जैसलमेर के सम और रामदेवरा में संरक्षण प्रजनन सुविधाएं चालू हैं। जीआईबी की आंशिक संस्थापक आबादी जिसमें इक्कीस व्यक्ति और सात चूजे शामिल हैं, सुरक्षित कर ली गई है। चूजों को जंगल से एकत्र किए गए अंडों से कृत्रिम रूप से निकाला गया था। बंदी प्रजनन शुरू कर दिया गया है;

vi संरक्षण परियोजना की देखरेख तीन वैज्ञानिकों, तीन पशु चिकित्सकों, अठारह परियोजना सहयोगियों और चालीस स्थानीय सहायक कर्मचारियों की एक टीम द्वारा की जा रही है;

vii. WII ने होउबारा संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो होउबारा बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समर्पित है। समझौता ज्ञापन में सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की रूपरेखा दी गई है जिसमें संरक्षण कार्यक्रम के शुरुआती चरणों में कर्मचारियों का प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और सलाह, और पक्षी पिंजरों और खाद्य छरों की आपूर्ति शामिल है; और

viii. बस्टर्ड के साथ-साथ अन्य पक्षियों की अन्य प्रजातियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का एक अध्ययन इंगित करता है कि संरक्षण की रणनीति के रूप में भूमि के बड़े हिस्से को बंद नहीं किया गया है। इसके बजाय, कृत्रिम गर्भाधान तकनीकों का उपयोग बाड़ों के निर्माण के साथ किया गया है जिसमें चूजों को तब तक पाला जाता है जब तक वे शिकारियों के लिए कम असुरक्षित नहीं हो जाते। ऐसे चूजों को फिर जंगल में छोड़ दिया जाता है। यह रणनीति सफल साबित हुई है और भारत सरकार इसे जीआईबी के संबंध में दोहरा रही है।

e. इस न्यायालय द्वारा लागू किया गया ऐसा कठोर निर्देश, जिसका क्रियान्वयन व्यवहार्य न होने के साथ-साथ, इसके घोषित उद्देश्य, अर्थात् जीआईबी के संरक्षण को भी प्राप्त नहीं कर सकेगा।

10. संशोधन के लिए आवेदन पर निर्णय लेने से पहले, जलवायु परिवर्तन को रोकने और इसके प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए भारत के दायित्वों पर संक्षेप में चर्चा करना आवश्यक है। इससे न्यायालय को प्रतिस्पर्धी विचारों के समग्र दृष्टिकोण के आधार पर निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।

C. जलवायु परिवर्तन से निपटने का मिशन

I. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत भारत की प्रतिबद्धता

11. भारत ने वैश्विक पर्यावरण संरक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ की हैं। भारत क्योटो प्रोटोकॉल में भागीदार था, जो 16 फरवरी, 2005 को लागू हुआ। यूएनएफसीसीसी से जुड़ा यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता अपने पक्षों को बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य स्थापित करने के लिए बाध्य करता है। प्रोटोकॉल देशों को राष्ट्रीय उपायों के माध्यम से इन लक्ष्यों को पूरा करने की अनुमति देता है और अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार, स्वच्छ विकास तंत्र और संयुक्त कार्यान्वयन जैसे अतिरिक्त तंत्र प्रदान करता है।

12. यूएनएफसीसीसी इस मान्यता पर आधारित है कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक मुद्दा है जिसके लिए सामूहिक वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।⁷ चूंकि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन सभी देशों के क्षेत्रों से उत्पन्न होता है और सभी देशों को प्रभावित भी करता है, इसलिए यह आवश्यक है कि सभी देश इस चुनौती से निपटने के लिए उपाय करें। यह मूलभूत आधार यूएनएफसीसीसी की प्रस्तावना में स्पष्ट किया गया है:

"यह स्वीकार करते हुए कि जलवायु परिवर्तन की वैश्विक प्रकृति सभी देशों द्वारा यथासंभव व्यापक सहयोग की मांग करती है तथा उनकी साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के अनुसार एक प्रभावी और उचित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में उनकी भागीदारी की मांग करती है, ... यह भी याद दिलाते हुए कि राज्यों की यह जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण में होने वाली गतिविधियों से अन्य राज्यों के पर्यावरण को या राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं से परे के क्षेत्रों को नुकसान न पहुंचे।"

13. यूएनएफसीसीसी का प्राथमिक उद्देश्य जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानव-प्रेरित हस्तक्षेप को रोकने के लिए वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को स्थिर करना है, जैसा कि [अनुच्छेद 2](#)⁸ में स्पष्ट किया गया है। [अनुच्छेद 3](#) इस उद्देश्य को निर्देशित करने वाले सिद्धांतों पर विस्तार से बताता है। विशेष रूप से, [अनुच्छेद 3\(1\)](#) वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लाभ के लिए जलवायु प्रणाली की रक्षा करने के लिए पार्टियों की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है, जो समानता पर आधारित है और उनकी क्षमताओं के अनुरूप है।⁹ [अनुच्छेद 3\(3\)](#) कारणों का अनुमान लगाने, रोकने या कम करने के लिए एहतियाती उपायों के महत्व पर जोर देता है और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव।¹⁰

14. दिसंबर 2012 में कतर के दोहा में पार्टियों के 18 वें सम्मेलन में ¹¹, राज्यों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और अधिक महत्वाकांक्षा और कार्रवाई के लिए आधार तैयार किया। विभिन्न निर्णयों के बीच, उन्होंने 2015 तक एक सार्वभौमिक जलवायु समझौते को अपनाने के लिए एक समय सारिणी निर्धारित की। इसका उद्देश्य एक बाध्यकारी और सार्वभौमिक समझौते पर आम सहमति बनाना था जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को ऐसे स्तरों तक सीमित कर देगा जो वैश्विक तापमान को औद्योगिक क्रांति से पहले निर्धारित तापमान बेंचमार्क से 2 डिग्री सेल्सियस (3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट) से अधिक बढ़ने से रोकेंगे। दिसंबर 2015 में पेरिस में COP 21 बैठक आयोजित की गई, जहाँ भारत सहित 196 देशों ने 12 दिसंबर 2015 को एक नए जलवायु परिवर्तन समझौते पर हस्ताक्षर किए।¹² इसे पेरिस समझौता कहा जाता है।¹³

15. पेरिस बैठक की तैयारी में, संयुक्त राष्ट्र ने पक्षों से अपनी योजनाएँ प्रस्तुत करने के लिए कहा था कि वे किस तरह अपने ग्रीनहाउस उत्सर्जन को कम करना चाहते हैं। भारत ने 2 अक्टूबर, 2015 को UNFCCC को अपना इच्छित राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDC) प्रस्तुत किया। पेरिस समझौते में यह अनिवार्य है कि प्रत्येक पक्ष हर पाँच साल में राष्ट्रीय निर्धारित योगदान के बारे में बताए। भारत ने 2 अक्टूबर 2015 को पहले प्रस्तुत किए गए अपने पहले NDC के लिए 2030 तक की अवधि के लिए एक अद्यतन प्रस्तुत किया। भारत की पेरिस समझौते के तहत प्रतिबद्धता में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ शामिल हैं¹⁴:

क. 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50 प्रतिशत संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करना, जिसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और ग्रीन क्लाइमेट फंड सहित कम लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्त का समर्थन शामिल है;

(ख) जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि, जल संसाधन, हिमालयी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन में विकास कार्यक्रमों में निवेश बढ़ाना, ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति बेहतर अनुकूलन हो सके; और (ग) भारत में अत्याधुनिक जलवायु प्रौद्योगिकी के तेजी से प्रसार के लिए घरेलू ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय संरचना की स्थापना करना तथा भविष्य की जलवायु प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त सहयोगी अनुसंधान और विकास में संलग्न होना। अपनी प्रतिज्ञा के एक भाग के रूप में, भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों को अपनाने तथा उत्सर्जन में कमी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

16. स्थिरता की दिशा में भारत के प्रयासों में एक प्रमुख रणनीति अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापना का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। 2022 तक, भारत ने 175 गीगावाट (गीगावाट) की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता (बड़ी पनबिजली को छोड़कर) हासिल करने का लक्ष्य रखा है, यह एक ऐसा लक्ष्य है जो स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भविष्य की ओर देखते हुए, भारत ने 2030 के लिए और भी अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसका लक्ष्य अपनी स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता को 450 गीगावाट तक बढ़ाना है। यह दीर्घकालिक लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए अक्षय ऊर्जा की ओर संक्रमण को तेज करने की तत्काल आवश्यकता की भारत की मान्यता को रेखांकित करता है।

17. इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, भारत ने अक्षय ऊर्जा निवेश, नवाचार और अपनाने को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतिगत उपायों और पहलों को लागू किया है। जैसा कि संघ के अतिरिक्त हलफनामे में बताया गया है, गैर-जीवाश्म ईंधन में बदलाव के लिए भारत की प्रतिबद्धता न केवल एक रणनीतिक ऊर्जा लक्ष्य है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। अक्षय ऊर्जा में निवेश न केवल इन जरूरी पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करता है, बल्कि सामाजिक-आर्थिक लाभों की भी भरमार देता है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों की ओर रुख करके, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाता है, अस्थिर जीवाश्म ईंधन बाजारों पर निर्भरता को कम करता है और ऊर्जा की कमी से जुड़े जोखिमों को कम करता है। इसके अतिरिक्त, अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को अपनाने से वायु प्रदूषण को रोकने में मदद मिलती है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और स्वास्थ्य सेवा की लागत कम होती है।

18. अक्षय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना समाज के सभी वर्गों, खासकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करके सामाजिक समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह गरीबी उन्मूलन में योगदान देता है, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है और पूरे देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देता है। इसलिए, अक्षय ऊर्जा में बदलाव न केवल एक पर्यावरणीय अनिवार्यता है, बल्कि भारत की भविष्य की समृद्धि, लचीलापन और स्थिरता में एक रणनीतिक निवेश भी है।

II. स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रहने का अधिकार

19. जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत के प्रयास कई गुना हैं। संसद ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 आदि अधिनियम बनाए हैं। 2022 में, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन करके केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना प्रदान करने का अधिकार दिया गया।¹⁵ हरित ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्युत (हरित ऊर्जा मुक्त पहुँच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) नियम 2022 बनाए गए। सरकार के कार्यकारी विंग ने पिछले कुछ वर्षों में कई परियोजनाओं को लागू किया है, जिनमें राष्ट्रीय सौर मिशन (जिस पर बाद के खंड में विस्तार से चर्चा की गई है), राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन और जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन आदि शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को पहचानने और इससे निपटने के लिए सरकारी नीति और नियमों और विनियमों के बावजूद, भारत में जलवायु परिवर्तन और उससे जुड़ी चिंताओं से संबंधित कोई एकल या व्यापक कानून नहीं है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि भारत के लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं है।

20. संविधान के अनुच्छेद 48 ए में यह प्रावधान है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 ए का खंड (जी) यह निर्धारित करता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखे। यद्यपि ये संविधान के न्यायोचित प्रावधान नहीं हैं, लेकिन ये संकेत हैं कि संविधान प्राकृतिक दुनिया के महत्व को मान्यता देता है। इन प्रावधानों द्वारा इंगित पर्यावरण का महत्व संविधान के अन्य भागों में अधिकार बन जाता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देता है जबकि अनुच्छेद 14 यह इंगित करता है कि सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त होगा। ये अनुच्छेद स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

21. एम.सी. मेहता बनाम कमल नाथ,¹⁶ में इस न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 48 ए और 51 ए(जी) की व्याख्या अनुच्छेद 21 के प्रकाश में की जानी चाहिए :

"8. ... इन दोनों अनुच्छेदों पर संविधान के अनुच्छेद 21 के आलोक में विचार किया जाना चाहिए, जिसमें प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन और स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। बुनियादी पर्यावरण तत्वों, अर्थात् हवा, पानी और मिट्टी, जो "जीवन" के लिए आवश्यक हैं, में कोई भी गड़बड़ी संविधान के अनुच्छेद 21 के अर्थ में "जीवन" के लिए खतरनाक होगी।"

22. वीरेंद्र गौड़ बनाम हरियाणा राज्य¹⁷, में इस न्यायालय ने स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को निम्नलिखित शब्दों में मान्यता दी:

"7. ... राज्य का विशेष रूप से इस संबंध में कर्तव्य है कि वह अपनी अत्यधिक निरंकुश संप्रभु शक्ति को त्याग दे तथा अपनी नीति में पारिस्थितिकी संतुलन और स्वच्छ वातावरण बनाए रखे। अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षित करता है। जीवन का आनंद लेना तथा उसे प्राप्त करना, जिसमें मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार शामिल है, इसके दायरे में पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण, वायु और जल के प्रदूषण से मुक्त पारिस्थितिकी संतुलन, स्वच्छता शामिल है जिसके बिना जीवन का आनंद नहीं लिया जा सकता। कोई भी विपरीत कार्य या कार्रवाई पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनेगी। पर्यावरण, पारिस्थितिकी, वायु, जल, प्रदूषण आदि को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाना चाहिए। इसलिए, स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है तथा मानवीय और स्वस्थ पर्यावरण के बिना मानवीय गरिमा के साथ जीना असंभव होगा। इसलिए, पर्यावरण संरक्षण अब मानव अस्तित्व के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का तात्पर्य मानव निर्मित और प्राकृतिक पर्यावरण सहित संपूर्ण पर्यावरण के रखरखाव से है।

इसलिए, राज्य सरकार और नगर पालिकाओं पर न केवल उचित पर्यावरण सुनिश्चित करने और उसकी रक्षा करने की संवैधानिक अनिवार्यता है बल्कि मानव निर्मित और प्राकृतिक पर्यावरण दोनों को बढ़ावा देने, संरक्षित करने और सुधारने के लिए पर्याप्त उपाय करना भी एक अनिवार्य कर्तव्य है।”

23. कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड बनाम सी. केंचप्पा ¹⁸ में इस न्यायालय ने बढ़ते समुद्री जलस्तर और बढ़ते वैश्विक तापमान के प्रतिकूल प्रभावों पर ध्यान दिया। बॉम्बे डाइंग एंड मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (3) बनाम बॉम्बे एनवायरनमेंटल एक्शनसमूह¹⁹, इस न्यायालय ने माना कि जलवायु परिवर्तन पर्यावरण के लिए एक “बड़ा खतरा” है।

24. स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार पर बहुत से निर्णयों, जलवायु परिवर्तन को गंभीर खतरा मानने वाले कुछ निर्णयों और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीतियों के बावजूद, यह अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है कि लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार है। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि यह अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चूंकि जलवायु परिवर्तन से होने वाली तबाही साल दर साल बढ़ती जा रही है, इसलिए इसे एक अलग अधिकार के रूप में स्पष्ट करना आवश्यक हो गया है। इसे अनुच्छेद 14 और 21 द्वारा मान्यता दी गई है।

25. एक स्वच्छ पर्यावरण के बिना जो स्थिर हो और जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितताओं से अप्रभावित हो, जीवन के अधिकार को पूरी तरह से महसूस नहीं किया जा सकता है। स्वास्थ्य का अधिकार (जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है) वायु प्रदूषण, वेक्टर जनित बीमारियों में बदलाव, बढ़ते तापमान, सूखे, फसल की विफलता, तूफान और बाढ़ के कारण खाद्य आपूर्ति में कमी जैसे कारकों के कारण प्रभावित होता है। वंचित समुदायों की जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने या इसके प्रभावों से निपटने में असमर्थता जीवन के अधिकार के साथ-साथ समानता के अधिकार का भी उल्लंघन करती है। इसे एक उदाहरण की मदद से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। यदि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट के कारण किसी विशेष क्षेत्र में भोजन और पानी की भारी कमी हो जाती है, तो गरीब समुदायों को अमीर समुदायों की तुलना में अधिक नुकसान होगा। इनमें से प्रत्येक मामले में समानता का अधिकार निस्संदेह प्रभावित होगा।

26. समानता के अधिकार का उल्लंघन ऐसे तरीकों से भी किया जा सकता है जिनका समाधान करना अधिक कठिन हो। उदाहरण के लिए, लक्षद्वीप द्वीप समूह में रहने वाला व्यक्ति, मध्य प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति की तुलना में तब नुकसानदेह स्थिति में होगा जब समुद्र का स्तर बढ़ेगा और समुद्री समस्याएँ उत्पन्न होंगी। इसी तरह, वनवासियों या आदिवासी और स्वदेशी समुदायों को न केवल अपने घरों को खोने का जोखिम है, बल्कि उनकी संस्कृति भी है, जो उनके रहने के स्थानों और उस स्थान के संसाधनों के साथ अटूट रूप से जुड़ी हुई है। भारत में, निकोबार द्वीप समूह में आदिवासी आबादी एक पारंपरिक

जीवन जी रही है जो देश या दुनिया के किसी भी अन्य हिस्से से असंबद्ध और अलग है। स्वदेशी समुदाय अक्सर पारंपरिक जीवन जीते हैं, जिनकी भूमि पर निर्भरता शहरी आबादी की भूमि पर निर्भरता से अलग होती है। मछली पकड़ने और शिकार करने जैसी पारंपरिक गतिविधियाँ जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो सकती हैं, जिससे ऐसे लोगों के जीविका के स्रोत पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा, स्वदेशी समुदायों का प्रकृति के साथ संबंध उनकी संस्कृति या धर्म से जुड़ा हो सकता है। उनकी भूमि और जंगलों का विनाश या उनके घरों से उनका विस्थापन उनकी अनूठी संस्कृति को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। इन तरीकों से भी जलवायु परिवर्तन समानता के अधिकार की संवैधानिक गारंटी को प्रभावित कर सकता है।

27. अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार को इस न्यायालय के निर्णयों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की कार्यवाहियों और प्रतिबद्धताओं तथा जलवायु परिवर्तन और इसके प्रतिकूल प्रभावों पर वैज्ञानिक सहमति के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। इनसे यह बात सामने आती है कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस अधिकार को प्रभावी करते समय न्यायालयों को प्रभावित समुदायों के अन्य अधिकारों जैसे विस्थापन के विरुद्ध अधिकार और संबद्ध अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए। किसी विशेष मामले में निर्णय पर पहुँचने से पहले विभिन्न संवैधानिक अधिकारों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

28. 2019 में, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर समिति, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति, सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण पर समिति, बाल अधिकारों पर समिति और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति ने संयुक्त रूप से एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने माना कि “...राज्य दलों के पास सभी लोगों के सभी मानवाधिकारों का सम्मान, सुरक्षा और पूर्ति करने के लिए अतिरिक्त-क्षेत्रीय दायित्वों सहित दायित्व हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले संभावित मानवाधिकार नुकसान को रोकने के लिए उपाय न करना या ऐसे नुकसान में योगदान देने वाली गतिविधियों को विनियमित करना, राज्यों के मानवाधिकार दायित्वों का उल्लंघन हो सकता है।”²⁰

29. हाल ही में, जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकारों के बीच के अंतरसंबंध को बहुत ध्यान में रखा गया है, जो राज्यों के लिए जलवायु प्रभावों को अधिकारों के नज़रिए से संबोधित करने की अनिवार्यता को रेखांकित करता है। उदाहरण के लिए, पेरिस में 2015 के जलवायु सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के योगदान ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जलवायु परिवर्तन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गारंटीकृत मानवाधिकार।²¹ राज्यों का नागरिकों के प्रति देखभाल का कर्तव्य है ताकि नुकसान को रोका जा सके और समग्र कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार निस्संदेह देखभाल के इस कर्तव्य का एक हिस्सा है। राज्यों को जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए प्रभावी उपाय करने और यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य किया जाता है कि सभी व्यक्तियों में जलवायु संकट के अनुकूल होने की आवश्यक क्षमता हो।

30. जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में मानवाधिकारों की यह स्वीकृति पेरिस समझौते की प्रस्तावना में रेखांकित की गई है, जो जलवायु परिवर्तन और विभिन्न मानवाधिकारों के बीच अंतर्संबंध को मान्यता देती है, जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार, स्वदेशी अधिकार, लैंगिक समानता और विकास का अधिकार शामिल हैं:

"यह स्वीकार करते हुए कि जलवायु परिवर्तन मानव जाति की एक साझा चिंता है, पक्षों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्रवाई करते समय, मानवाधिकारों, स्वास्थ्य के अधिकार, स्वदेशी लोगों, स्थानीय समुदायों, प्रवासियों, बच्चों, विकलांग व्यक्तियों और कमजोर स्थितियों में रहने वाले लोगों के अधिकारों और विकास के अधिकार के साथ-साथ लैंगिक समानता, महिलाओं के सशक्तीकरण और अंतर-पीढ़ीगत समता पर अपने-अपने दायित्वों का सम्मान करना, उन्हें बढ़ावा देना और उन पर विचार करना चाहिए।"

31. 2015 की संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन से संबंधित पाँच मानवाधिकार दायित्वों को भी रेखांकित किया गया है, जिसमें शमन और अनुकूलन दोनों प्रयास शामिल हैं।²² 2018 में, मानवाधिकार और पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने इस बात पर जोर दिया कि मानवाधिकारों के लिए राज्यों को प्रभावी कानून और नीतियाँ बनाने की आवश्यकता होती है। मानव अधिकारों और पर्यावरण पर रूपरेखा सिद्धांतों के साथ संरेखित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए नीतियाँ।²³

32. इंटर-अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स 24 ने 2017 में एक सलाहकार राय जारी की, जिसमें स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मौलिक मानव अधिकार के रूप में पुष्टि की गई। IACtHR ने पर्यावरण संरक्षण और विभिन्न मानवाधिकारों के आनंद के बीच अंतर्निहित संबंध को मान्यता देते हुए, सीमा पार प्रभावों सहित महत्वपूर्ण पर्यावरणीय नुकसान के संबंध में राज्य के दायित्वों को रेखांकित किया। स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार का उल्लंघन कई अधिकार क्षेत्रों में गूँज सकता है, जिसमें जीवन, व्यक्तिगत अखंडता, स्वास्थ्य, जल और आवास का अधिकार, साथ ही सूचना, अभिव्यक्ति, संघ और भागीदारी जैसे प्रक्रियात्मक अधिकार शामिल हैं।

33. अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जलवायु दायित्वों की खोज करने वाले अपने व्यापक अध्ययन में, वेवरिके-सिंह ने मानवाधिकार सिद्धांतों के अनुरूप जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और अनुकूलन करने के लिए राज्यों की अनिवार्यता को रेखांकित किया है।²⁵ यह पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता पर वैश्विक चर्चा के भीतर एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार की बढ़ती मान्यता के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होता है। स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार पर चर्चा करते समय, स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा तक पहुँच को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। स्वच्छ ऊर्जा स्वस्थ

पर्यावरण के मानव अधिकार के अनुरूप है, जैसा कि पहली बार 1994 में मानवाधिकार और पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक.

34. असमान ऊर्जा पहुंच महिलाओं और लड़कियों को उनकी लैंगिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के कारण असमान रूप से प्रभावित करती है, जैसे कि घरेलू कामों और अवैतनिक देखभाल कार्यों में बिताया गया समय। कई विकासशील देशों में महिलाएँ ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करने और खाना पकाने में औसतन 1.4 घंटे प्रतिदिन बिताती हैं, इसके अलावा वे अन्य घरेलू काम भी करती हैं जिन्हें ऊर्जा की पहुंच से पूरा किया जा सकता है।²⁷ पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने और मानवाधिकार दायित्वों को बनाए रखने के लिए स्वच्छ ऊर्जा पहलों को प्राथमिकता देने के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता।

35. भारत कई ऐसी चुनौतियों का सामना कर रहा है जो सीधे तौर पर स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को प्रभावित करती हैं, खास तौर पर वनवासियों सहित कमजोर और स्वदेशी समुदायों के लिए। कई नागरिकों के लिए विश्वसनीय बिजली आपूर्ति की कमी न केवल आर्थिक विकास में बाधा डालती है बल्कि महिलाओं और कम आय वाले परिवारों सहित समुदायों को भी असमान रूप से प्रभावित करती है, जिससे असमानताएं और बढ़ती हैं। इसलिए, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार इस सिद्धांत को समाहित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे वातावरण में रहने का अधिकार है जो स्वच्छ, सुरक्षित और उनके कल्याण के लिए अनुकूल हो। स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को मान्यता देकर, राज्य पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को प्राथमिकता देने के लिए बाध्य हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन के मूल कारणों को संबोधित किया जा सके और पर्यावरण की भलाई की रक्षा की जा सके। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए। भारत जैसे देशों के लिए यह जरूरी है कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों को निभाएं, जिसमें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, जलवायु प्रभावों के अनुकूल होने और सभी व्यक्तियों के स्वस्थ और टिकाऊ वातावरण में रहने के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की उनकी जिम्मेदारियां शामिल हैं।

III. अक्षय ऊर्जा के स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा का महत्व

36. वायु प्रदूषण के कई स्रोत हैं जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। उद्योगों और वाहनों से होने वाले प्रदूषण के उच्च स्तर ने भारतीय शहरों को दुनिया में सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों में से एक बना दिया है, जिससे नागरिकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम पैदा हो रहे हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए स्वच्छ और संधारणीय ऊर्जा स्रोतों में बदलाव को प्राथमिकता देने, भारत में सभी व्यक्तियों के लिए स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने और कमजोर समुदायों के अधिकारों और जरूरतों पर विशेष ध्यान देते हुए भावी पीढ़ियों की भलाई की रक्षा करने की आवश्यकता है। इसलिए, जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करते

समय, सौर ऊर्जा के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। संधारणीय और नवीकरणीय होने के अलावा, सौर ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर वैश्विक बदलाव में एक महत्वपूर्ण समाधान के रूप में सामने आती है। इसका महत्व जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को महत्वपूर्ण रूप से कम करने की इसकी क्षमता में निहित है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर अंकुश लगता है।

37. भारत में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं और इसे प्रति वर्ष लगभग 5,000 ट्रिलियन kWh सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसमें से अधिकांश क्षेत्रों को प्रति वर्गमीटर प्रति दिन 4-7 kWh प्राप्त होता है। 28 सौर फोटोवोल्टिक बिजली भारत में अत्यधिक मापनीयता प्रदान करती है, जिससे सौर ऊर्जा का प्रभावी दोहन संभव हो पाता है। इसके अलावा, सौर ऊर्जा वितरित बिजली उत्पादन की सुविधा प्रदान करती है, जिससे कम समय में तेजी से क्षमता वृद्धि संभव हो पाती है। हाल के वर्षों में भारत के ऊर्जा परिदृश्य पर सौर ऊर्जा का प्रभाव स्पष्ट रहा है। विकेंद्रीकृत और वितरित सौर अनुप्रयोगों ने भारतीय गांवों में लाखों लोगों को पर्याप्त लाभ पहुंचाया है, जिससे पर्यावरण के अनुकूल तरीके से उनकी खाना पकाने, प्रकाश व्यवस्था और अन्य ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सका है। इन पहलों से सामाजिक और आर्थिक लाभ हुए हैं, जिसमें ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों के बीच थकान कम करना, घर के अंदर वायु प्रदूषण से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना, ग्रामीण स्तर पर रोजगार पैदा करना और अंततः जीवन स्तर में सुधार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना शामिल है। इसके अतिरिक्त, भारत में सौर ऊर्जा क्षेत्र ग्रिड से जुड़ी बिजली उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभरा है। यह भारत के सतत विकास के एजेंडे के अनुरूप है और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाते हुए देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

38. भारत की जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में सौर ऊर्जा का केंद्रीय स्थान है, जिसमें राष्ट्रीय सौर मिशन 29 इसकी प्रमुख पहलों में से एक है। 11 जनवरी 2010 को शुरू किए गए एनएसएम का उद्देश्य देश भर में सौर प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए अनुकूल नीतिगत स्थितियाँ बनाकर भारत को सौर ऊर्जा में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। यह मिशन भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्य, जिसका उद्देश्य गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50 प्रतिशत संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करना और 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत कम करना है। 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म आधारित बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करने का भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो होने के प्रयासों के अनुरूप है। 2023-24 में, 9,943 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता में से, 8,269 मेगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से है। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए) द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सांख्यिकी 2023 के अनुसार, भारत में अक्षय ऊर्जा की चौथी सबसे बड़ी स्थापित क्षमता है।

39. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 31 का गठन 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 में भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में किया गया था। यह 94 सदस्य देशों वाला एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। 32 यह दुनिया भर में ऊर्जा की पहुँच और सुरक्षा को बेहतर बनाने और कार्बन-तटस्थ भविष्य में संक्रमण के लिए एक स्थायी तरीके के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकारों के साथ काम करता है। ISA का मिशन 2030 तक सौर ऊर्जा में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश को अनलॉक करना है, जबकि प्रौद्योगिकी और इसके वित्तपोषण की लागत को कम करना है। यह बहुपक्षीय विकास बैंकों, विकास वित्तीय संस्थानों, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, नागरिक समाज और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ साझेदारी कर रहा है ताकि विशेष रूप से कम विकसित देशों 33 और छोटे द्वीप विकासशील राज्यों 34 में सूर्य द्वारा संचालित लागत प्रभावी और परिवर्तनकारी ऊर्जा समाधानों को तैनात किया जा सके।

40. एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड 35 पहल का विचार भारत द्वारा अक्टूबर 2018 में ISA की पहली सभा में रखा गया था। 36 OSOWOG पहल के पीछे का दृष्टिकोण यह मंत्र है कि "सूर्य कभी अस्त नहीं होता"। इस पहल का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रीय ग्रिडों को एक सामान्य ग्रिड के माध्यम से जोड़ना है जिसका उपयोग अक्षय ऊर्जा शक्ति को स्थानांतरित करने के लिए किया जाएगा और इस प्रकार, अक्षय ऊर्जा स्रोतों, विशेष रूप से सौर ऊर्जा की क्षमता का एहसास होगा।

41. 2021 में, COP26 वर्ल्ड लीडर्स समिट के दौरान OSOWOG के साथ साझेदारी में ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव 37 लॉन्च किया गया था। यू.के. और भारत ने संयुक्त रूप से वन सन घोषणा को अपनाया जिसका 92 देशों ने समर्थन किया। 38 यह जलवायु सहयोग के लिए एक प्रमुख क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और स्वच्छ ऊर्जा वाले भविष्य के लिए यकीनन सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए दो पहलों के बीच साझेदारी स्थापित करता है: बढ़ती बिजली की माँगों को टिकाऊ, सुरक्षित, विश्वसनीय और किफायती तरीके से पूरा करते हुए अक्षय ऊर्जा के अधिक से अधिक हिस्से को अवशोषित करने में सक्षम बिजली ग्रिड का निर्माण और संचालन कैसे करें।

42. भारत के लिए न केवल कोयला आधारित ईंधन के विकल्प खोजना जरूरी है, बल्कि अपनी ऊर्जा माँगों को भी स्थायी तरीके से पूरा करना जरूरी है। भारत को तीन आसन्न मुद्दों के कारण तत्काल सौर ऊर्जा की ओर रुख करने की जरूरत है। 39 सबसे पहले, भारत अगले दो दशकों में वैश्विक ऊर्जा माँग में 25% की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होने की संभावना है, जिसके लिए पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करते हुए ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाना। ऐसा न करने पर कोयले और तेल पर निर्भरता बढ़ सकती है, जिससे आर्थिक और पर्यावरणीय लागत बढ़ सकती है। दूसरे, अनियंत्रित वायु प्रदूषण जीवाश्म ईंधन से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए सौर ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता पर जोर देता है। अंत में, भूजल स्तर में गिरावट और वार्षिक वर्षा में कमी ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने के महत्व को रेखांकित करती है। कोयले के विपरीत,

सौर ऊर्जा भूजल आपूर्ति पर दबाव नहीं डालती है। सौर ऊर्जा संयंत्रों का व्यापक उपयोग स्वच्छ, सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

43. गुजरात और राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, जिसमें शुष्क रेगिस्तानी इलाके और सूरज की रोशनी की प्रचुरता है, इन क्षेत्रों को सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र बनाता है। इन रेगिस्तानी क्षेत्रों की शुष्क जलवायु न्यूनतम बादल कवर और वर्षा सुनिश्चित करती है, जिसके परिणामस्वरूप पूरे वर्ष लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में निर्बाध संपर्क होता है। लगातार और तीव्र सूर्य की रोशनी फोटोवोल्टिक (पीवी) सौर पैनलों के लिए सौर विकिरण को बिजली में कुशलतापूर्वक परिवर्तित करने के लिए आदर्श स्थिति बनाती है। इसके अतिरिक्त, इन क्षेत्रों की अपेक्षाकृत समतल स्थलाकृति बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना और संचालन की सुविधा प्रदान करती है, जिससे सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए उनकी उपयुक्तता और बढ़ जाती है। इस प्राकृतिक लाभ का दोहन करके, भारत जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को काफी कम कर सकता है और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण कर सकता है। सौर ऊर्जा न केवल देश की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करती है बल्कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करके जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में भी मदद करती है।

IV. अन्य न्यायक्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन मुकदमेबाजी

44. जलवायु परिवर्तन मुकदमेबाजी अधिकार आधारित ऊर्जा संक्रमण को आगे बढ़ाने और मानवाधिकार सिद्धांतों के साथ जुड़े ऊर्जा न्याय को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है। 40 यूएनएफसीसीसी का अनुच्छेद 3(1) पार्टियों के लिए वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की भलाई के लिए जलवायु प्रणाली की सुरक्षा करने की अनिवार्यता को रेखांकित करता है, जो समानता पर आधारित है और उनकी विभेदित जिम्मेदारियों और क्षमताओं को दर्शाता है। यह दायित्व विकसित देशों पर जलवायु परिवर्तन और इसके प्रतिकूल प्रभावों से निपटने में अग्रणी भूमिका निभाने का विशेष दायित्व डालता है। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कानून के तहत स्थापित तंत्र सतत विकास लक्ष्य 7 (एसडीजी 7) (यानी, सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना) और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए अधिक व्यापक और सुसंगत दृष्टिकोण में योगदान करते हैं।

45. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, न्यायालयों को ऐसे मामलों का निर्णय लेने के चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना करना पड़ा है, जहाँ जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे दांव पर लगे हैं। पर्यावरण क्षरण, प्रदूषण, उद्योग और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के विषय लंबे समय से विभिन्न देशों की अदालतों के समक्ष मामलों का एक बड़ा हिस्सा रहे हैं। हालाँकि, हाल ही में, जलवायु परिवर्तन से संबंधित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है, किसी न किसी तरह से। अन्य न्यायालयों के निर्णयों पर ध्यान देना आवश्यक है, इसलिए नहीं कि इस मामले के निर्णय में उनका कोई मिसाली मूल्य है, बल्कि इसलिए कि जलवायु

परिवर्तन मुकदमेबाजी में वैश्विक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना तथा इस तरह के मुकदमेबाजी में न्यायालयों ने अपनी भूमिका को किस प्रकार समझा है, इसका आकलन करना।

46. नीदरलैंड्स राज्य बनाम उर्जेडा फाउंडेशन, में प्रतिवादी ने नीदरलैंड्स राज्य को ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के निर्देश देने की मांग की। जिला न्यायालय और अपील न्यायालय ने प्रतिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया। अपील पर, उच्च सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसलों की पुष्टि की। इसने मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन के अनुच्छेद 2 (जीवन का अधिकार) और 8 (निजी और पारिवारिक जीवन का अधिकार) के तहत दायित्वों को स्वीकार किया, राज्य को अधिक महत्वाकांक्षी जलवायु नीतियों को अपनाने के लिए मजबूर किया। इस मामले में यह पता लगाया गया कि क्या उच्च सरकार 2020 के अंत तक अपने क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर की तुलना में कम से कम 25% कम करने के लिए बाध्य थी, और क्या न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता थी।

47. नीदरलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने मानवजनित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग के बीच सीधे संबंध को मान्यता दी, 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वृद्धि के संभावित गंभीर परिणामों पर जोर दिया, जो जीवन के अधिकार को खतरे में डाल सकता है और पारिवारिक जीवन को बाधित कर सकता है। 46 इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि निजी और पारिवारिक जीवन का अधिकार पर्यावरणीय मामलों पर लागू होता है जहां प्रदूषण सीधे इन अधिकारों को प्रभावित करता है, जिसके लिए राज्यों को "उचित और व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पर्यावरणीय नुकसान से बचाने के लिए "उचित उपाय" अपनाना।

48. सैची, एट अल. बनाम अर्जेटीना, एट अल. में विभिन्न देशों के सोलह बच्चों ने बाल अधिकार समिति को एक संदेश भेजा था जिसमें अर्जेटीना, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी और तुर्की द्वारा बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 50 के तहत उनके अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। इस संदेश में जोर दिया गया था कि इन देशों ने अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को पर्याप्त स्तर तक कम नहीं किया है और वे कार्बन प्रदूषण को रोकने में विफल रहे हैं। हालांकि सीआरसी ने पाया कि घरेलू उपायों को समाप्त करने में विफलता के कारण यह संदेश अस्वीकार्य था, लेकिन इसने पुष्टि की कि राज्य कार्बन उत्सर्जन पर प्रभावी नियंत्रण रखते हैं और ऐसे उत्सर्जन से उत्पन्न होने वाले सीमा पार नुकसान के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। उल्लेखनीय रूप से, इसने देखा कि जबकि जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, अलग-अलग राज्य जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों में उनके योगदान के संबंध में अपने कार्यों या निष्क्रियताओं के लिए उत्तरदायित्व बनाए रखते हैं।

49. इओने टेइटियोटा बनाम व्यापार, नवाचार और रोजगार मंत्रालय के मुख्य कार्यकारी, में अपीलकर्ता प्रशांत महासागर में एक छोटे से द्वीप देश किरिबाती से न्यूजीलैंड गया था, और अपने परमिट की अवधि समाप्त होने के बाद भी वहीं रहा। बाद में उसने शरणार्थी की स्थिति और/या संरक्षित व्यक्ति की स्थिति

के लिए इस आधार पर आवेदन किया कि किरिबाती में समुद्र का स्तर जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रहा था। उसने मजबूर होने की आशंका जताई इस वजह से भविष्य में किरिबाती छोड़ने की संभावना नहीं है। संबंधित अधिकारियों ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया और संबंधित न्यायाधिकरण ने अपील को खारिज कर दिया। अपीलकर्ता ने न्यायाधिकरण के फैसले को अपील करने की अनुमति मांगी, जिसे दो अपीलीय अदालतों ने खारिज कर दिया। अंत में, न्यूजीलैंड के सर्वोच्च न्यायालय ने अपील करने की अनुमति के लिए उनके आवेदन को खारिज कर दिया। इसने माना कि अगर अपीलकर्ता किरिबाती लौटता है तो उसे गंभीर नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा और "इस बात का कोई सबूत नहीं है कि किरिबाती सरकार अपने नागरिकों को पर्यावरणीय क्षरण के प्रभावों से बचाने के लिए कदम उठाने में विफल रही है।" महत्वपूर्ण रूप से, इसने यह भी माना कि इस मामले में इसका निर्णय भविष्य में किसी उपयुक्त मामले में इसी तरह के आवेदन के सफल होने की संभावना को खारिज नहीं करेगा।

50. ये सभी मामले पिछले दशक में शुरू हुए और इनमें निर्णय लिए गए, तथा ये इस बात का संकेत देते हैं कि किस प्रकार की चिंताएं अगले कुछ वर्षों में न्यायालयों तक पहुंचेंगी। D. 19 अप्रैल 2021 के निर्णय में संशोधन के कारण

51. सुनवाई के दौरान, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा तैयार की गई कई रिपोर्टों का संदर्भ दिया गया है, जिसमें 13,663 वर्ग किलोमीटर को "प्राथमिकता क्षेत्र" के रूप में पहचाना गया है; 80,680 वर्ग किलोमीटर को "संभावित क्षेत्र" के रूप में; और 6,654 वर्ग किलोमीटर को जीआईबी के लिए "अतिरिक्त महत्वपूर्ण क्षेत्र" के रूप में पहचाना गया है। ये क्षेत्र राजस्थान और गुजरात राज्यों के बीच वितरित हैं। सारणी नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:

क्षेत्र	राजस्थान राज्य	गुजरात राज्य	कुल
प्राथमिकता वाले क्षेत्र	13,163 वर्ग किमी	500 वर्ग किमी	13,663 वर्ग किमी
संभावित क्षेत्र	78,580 वर्ग किमी	2,100 वर्ग किमी	80,680 वर्ग किमी
इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण क्षेत्र	5977 वर्ग किमी	677 वर्ग किमी	6654 वर्ग किमी

52. सुनवाई के दौरान और अपने पिछले आदेशों के द्वारा, इस न्यायालय ने जीआईबी की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाने के महत्व को रेखांकित किया है। एक प्रजाति के रूप में जीआईबी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। साथ ही, सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई है कि लगभग 99,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सौर ऊर्जा के वितरण के लिए ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना के संबंध में सामान्य प्रतिबंध लगाने

का कोई आधार नहीं है। ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण सभी ट्रांसमिशन लाइनों को भूमिगत विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों में बदलना संभव नहीं है:

ए. पिछले पैराग्राफ में चर्चा की गई जीआईबी की आबादी में कमी के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारकों को देखते हुए, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों को भूमिगत में बदलने से प्रजातियों के संरक्षण की संभावना नहीं है। कम प्रजनन क्षमता, विखंडन, आवास की हानि, शिकारी और शिकार की हानि जैसे अन्य कारकों को संबोधित किया जाना चाहिए

ख. भूमिगत विद्युत संचरण केबल केवल 400 केवी में उपलब्ध हैं। ऐसे केबल के लिए ड्रम का आकार 250 मीटर है। इन केबल में जोड़ों की संख्या अधिक होती है। जोड़ों से करंट लीक होने की संभावना अधिक होती है। 1 किमी के हिस्से में, लगभग 4 से 5 जोड़ मौजूद होंगे। जब हजारों किलोमीटर तक लंबी दूरी के लिए बिछाया जाता है, तो जोड़ों की संख्या आनुपातिक रूप से बढ़ जाएगी। जैसे-जैसे जोड़ों की संख्या बढ़ती है, सुरक्षा के लिए जोखिम में भी वृद्धि होती है, खासकर उन किसानों के लिए जिनकी जमीन के नीचे केबल बिछाई जाती है। बिजली संयंत्रों का डाउनटाइम भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा, 400 केवी की लाइनें अधिकतम 5 से 8 किमी तक बिछाई जा सकती हैं;

सी. कुछ क्षेत्रों में 220 केवी लाइन भूमिगत बिछाई गई है। जिन स्थानों पर उन्हें भूमिगत बिछाया गया है, वहां केबल के मार्ग का पता लगाने और केबल के चारों ओर खुदाई करते समय दुर्घटनाओं से बचने के लिए झंडे के निशान लगाए गए हैं। हालांकि, रेगिस्तानी क्षेत्रों में ऐसे निशान अपने इच्छित उद्देश्य को पूरा नहीं करते हैं क्योंकि तेज हवाएं चलती हैं और रेत को बहा ले जाती हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि भूदृश्य और रेत के टीले बदल जाते हैं। यह झंडे के निशानों को ढक सकता है या अन्यथा प्रभावित कर सकता है। कार्यात्मक चिह्नों की अनुपस्थिति में, रेगिस्तान में उच्च वोल्टेज केबलों को भूमिगत करना असुरक्षित और अव्यावहारिक है;

d. भूमिगत केबल AC पावर को कुशलतापूर्वक संचारित नहीं करते हैं। ऐसे केबल में ट्रांसमिशन लॉस लगभग पाँच गुना अधिक होता है; e. भूमिगत केबल में खराबी का पता लगाना मुश्किल और समय लेने वाला होता है। यदि ऐसी केबल में समस्याओं को ठीक करने और उनकी मरम्मत करने में देरी होती है, तो केबल के तापमान में वृद्धि के कारण यह फट सकती है। इससे GIB की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है;

(च) विद्युत अधिनियम में भूमि अधिग्रहण का प्रावधान नहीं है। हालांकि, अगर केबल को भूमिगत करना है तो भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता हो सकती है। इसके विपरीत, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के लिए केवल मार्ग के अधिकार की आवश्यकता होती है;

(जी). भूमिगत केबल कई संवेदनशील प्रजातियों के लिए पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दे सकती हैं। वे जंगल में आग या अन्य आग का कारण भी बन सकती हैं; एच. भूमिगत केबल बिछाने की लागत निषेधात्मक है। यह ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की तुलना में लगभग चार से पाँच गुना अधिक है। लागत हजारों करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यदि

केबल पूरी तरह से भूमिगत हो जाती है, तो अक्षय ऊर्जा का उपयोग करने की लागत निषेधात्मक होगी;

i. केबलों का उपयोग आमतौर पर उत्पादन स्टेशन से बिजली की निकासी के लिए नहीं किया जाता है;

जे. विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट से पता चलता है कि 60 केवी और उससे अधिक की ट्रांसमिशन लाइनों को भूमिगत करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है क्योंकि किसी भी तरह की कटौती से बड़े पैमाने पर उत्पादन में कमी आएगी;

क. देश में बढ़ती बिजली की मांग को तेजी से और टिकाऊ तरीके से पूरा करने के लिए राजस्थान और गुजरात में अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से बिजली का दोहन करना जरूरी है। जलवायु परिवर्तन के संबंध में भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के कारण भी यह जरूरी है;

l. जिस क्षेत्र में भूमिगत करने का निर्देश दिया गया है वह करीब 80,688 वर्ग किमी है, जो भारत के कई राज्यों से भी बड़ा है। वैश्विक स्तर पर भी इतने बड़े क्षेत्र में केबलों को भूमिगत करने का प्रयास नहीं किया गया है; और

m. जिस क्षेत्र में भूमिगत करने का निर्देश दिया गया है, वही संभावित क्षेत्रों का बड़ा हिस्सा है, जहां से पवन और सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। अब तक इस क्षमता का केवल 3% ही उपयोग किया गया है। यदि शेष क्षमता का उपयोग नहीं किया गया तो भविष्य में अतिरिक्त 93,000 मेगावाट कोयले की आवश्यकता होगी। कोयले से चलने वाले बिजली उत्पादन से अनुमानतः 623 अरब किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। इससे पर्यावरण को काफी नुकसान होगा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों में बाधा उत्पन्न होगी

53. ऊपर सूचीबद्ध कारणों के अलावा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा की अनिवार्यता के बीच जटिल अंतरसंबंध को पहचानना अनिवार्य है। सतत विकास की पारंपरिक धारणा के विपरीत, जो अक्सर आर्थिक विकास को पर्यावरण संरक्षण के विरुद्ध खड़ा करती है, यहाँ दुविधा में जैव विविधता की सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के बीच एक सूक्ष्म अंतरसंबंध शामिल है। यह संरक्षण और विकास के बीच एक द्विआधारी विकल्प नहीं है, बल्कि एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति की रक्षा और जलवायु परिवर्तन की दबावपूर्ण वैश्विक चुनौती का समाधान करने के बीच एक गतिशील अंतरसंबंध है।

54. अक्षय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता, विशेष रूप से गुजरात और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में, इसके व्यापक सतत विकास उद्देश्यों के अनुरूप है। सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण करके, भारत का लक्ष्य न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम

करना है, बल्कि ऊर्जा की पहुँच में सुधार करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और रोज़गार के अवसर पैदा करना भी है।

55. सतत विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता इसके अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और प्रतिबद्धताओं पर भी आधारित है। यूएनएफसीसीसी और जैव विविधता पर कन्वेंशन सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और समझौतों के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, भारत ने वैश्विक मंच पर पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु कार्रवाई के सिद्धांतों को बनाए रखने का संकल्प लिया है। साझेदारी, ज्ञान साझाकरण और सहयोगात्मक कार्रवाई के माध्यम से, भारत अपने सतत विकास प्रयासों के प्रभाव को बढ़ाना चाहता है, वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से सामूहिक प्रयासों में योगदान देना चाहता है।

56. कहने की जरूरत नहीं है कि भारत जिन अंतरराष्ट्रीय समझौतों और संधियों का पक्षकार है, उन्हें प्रभावी बनाना न्यायालय का कर्तव्य है। एंटरटेनमेंट नेटवर्क (इंडिया) लिमिटेड बनाम सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, में इस न्यायालय ने टिप्पणी की कि उसने पूरा करने के उद्देश्य सहित अंतरराष्ट्रीय कानून पर व्यापक रूप से भरोसा किया है। भारत द्वारा अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को तब समाप्त कर देता है, जब वे विद्यमान घरेलू कानून के प्रतिकूल न हों।⁵³ यह भी सही रूप से कहा गया है:

“80. इसके अलावा, जहां तक मानवाधिकार, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और अन्य दूसरी या तीसरी पीढ़ी के अधिकारों के संरक्षण का सवाल है, अदालतों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का संदर्भ लेने में संकोच नहीं करना चाहिए।”

57. अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाम ए.के. चोपड़ा, में इस न्यायालय ने अनेक मामलों का हवाला दिया जो इस प्रस्ताव के लिए मिसाल कायम करते हैं कि इस न्यायालय को उन अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों को प्रभावी करना चाहिए जिनमें भारत पक्ष है:

“इस न्यायालय ने कई मामलों में इस बात पर बल दिया है कि संवैधानिक आवश्यकताओं पर चर्चा करते समय न्यायालय और वकील को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और उपकरणों में निहित मूल सिद्धांत को कभी नहीं भूलना चाहिए और जहां तक संभव हो, उन अंतरराष्ट्रीय उपकरणों में निहित सिद्धांतों को प्रभावी करना चाहिए। अदालतों का दायित्व है कि वे घरेलू कानूनों की व्याख्या करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और मानदंडों को उचित सम्मान दें, विशेषकर तब, जब उनके बीच कोई असंगति न हो और घरेलू कानून में कोई शून्य हो। (लाभ के साथ देखें - प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन [(1980) 3 एससीसी 526: 1980 एससीसी (क्रि) 815: एआईआर 1980 एससी 1535]; मैकिनन मैकेंज़ी एंड कंपनी लिमिटेड बनाम ऑर्ड्रे डी' कोस्टा [(1987) 2 एससीसी 469: 1987 एससीसी (एल एंड एस) 100 : जेटी (1987) 2 एससी 34] ; शीला बारसे बनाम सचिव, चिल्ड्रन एड

सोसाइटी [(1987) 3 एससीसी 50, 54 : 1987 एससीसी (क्रि) 458] एससीसी पृष्ठ 54 पर; विशाखा बनाम राजस्थान राज्य [(1997) 6 एससीसी 241 : 1997 एससीसी (क्रि) 932 : जेटी (1997) 7 एससी 384] ; पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ [(1997) 3 एससीसी 433 : 1997 एससीसी (सीआरआई) 434: जेटी (1997) 2 एससी 311] और डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [(1997) 1 एससीसी 416, 438: 1997 एससीसी (सीआरआई) 92] एससीसी पृष्ठ 438 पर।)”

58. वर्तमान मामले में भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और प्रतिबद्धताओं (इस निर्णय के पिछले खंडों में विस्तृत) को घरेलू कानून में अधिनियमित नहीं किया गया है। फिर भी, न्यायालय को उन रिट याचिकाओं पर निर्णय लेते समय इन दायित्वों के प्रति सजग रहना चाहिए, जो ऐसी राहत की मांग करती हैं जो इन दायित्वों को पूरा करने में बाधा डाल सकती हैं या अन्यथा भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार में हस्तक्षेप कर सकती हैं।

59. अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के पालन से परे, सतत विकास के लिए भारत की कोशिश पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता, आर्थिक समृद्धि और जलवायु परिवर्तन के बीच जटिल अंतर्संबंध को दर्शाती है। इस संबंध में इसके राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए सतत विकास की समग्र समझ की आवश्यकता है जो दीर्घकालिक स्थिरता के साथ तत्काल आवश्यकताओं को संतुलित करती है, यह सुनिश्चित करती है कि वर्तमान क्रियाएं भविष्य की पीढ़ियों की भलाई से समझौता न करें। यह स्वीकार करता है कि आज की चुनौतियों के समाधान के लिए न केवल दबाव वाले मुद्दों को संबोधित करना चाहिए बल्कि एक लचीले और न्यायसंगत भविष्य के लिए आधार तैयार करना चाहिए।

60. दो समान रूप से महत्वपूर्ण लक्ष्यों - एक ओर जीआईबी का संरक्षण और दूसरी ओर समग्र रूप से पर्यावरण का संरक्षण - को संतुलित करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है जो दोनों लक्ष्यों में से किसी एक को दूसरे की वेदी पर बलिदान न करे। दोनों उद्देश्यों के बीच नाजुक संतुलन को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। बल्कि, राज्य और न्यायालयों सहित सभी अभिनेताओं द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि दोनों लक्ष्यों को किसी भी एक पर समझौता किए बिना पूरा किया जाए। अन्य प्रतिस्पर्धी विचारों के विपरीत, ये असंगत साइलो में मौजूद नहीं हैं। इसलिए, वर्तमान जैसी दुविधा दूसरे की कीमत पर इनमें से किसी एक को प्राथमिकता के रूप में सामने लाने की अनुमति नहीं देती है। यदि यह न्यायालय यह निर्देश देता है कि ऊपर वर्णित पूरे क्षेत्र में बिजली ट्रांसमिशन लाइनों को भूमिगत किया जाए, तो पर्यावरण के कई अन्य हिस्सों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जीवाश्म ईंधन से हानिकारक गैसों के उत्सर्जन के कारण अन्य लुप्तप्राय प्रजातियाँ पीड़ित हो सकती हैं। बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन की बुराइयों को समय रहते नहीं रोका जा सका, जिससे मानव जाति और पूरी सभ्यता के लिए विनाशकारी परिणाम सामने आएंगे। अस्तित्व के लिए खतरा टल नहीं सकता।

61. इसके अलावा, ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइनों को भूमिगत लाइनों में बदलने का निर्णय पर्यावरण नीति का मामला है। वर्तमान मामले में मांगी गई प्रकृति की राहत मांगने वाली रिट याचिकाओं पर निर्णय लेते समय, इस न्यायालय को डोमेन विशेषज्ञों पर भरोसा करते हुए न्यायिक समीक्षा करनी चाहिए। न्यायालय के समक्ष मुकदमेबाजी की गई समस्या के विभिन्न पहलुओं का आकलन करने के लिए सुसज्जित और प्रशिक्षित लोगों से निर्णय लेने से पहले परामर्श किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो न्यायालय को संबंधित मुद्दे की पूरी समझ के बिना निर्देश पारित करने का खतरा हो सकता है। परिणामस्वरूप, मांगे गए निर्देशों के लिए एक निश्चित आधार बनाने वाले साक्ष्य की अनुपस्थिति में, इस न्यायालय को व्यापक निर्देश जारी करने में सावधानी बरतनी चाहिए। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों पर एक व्यापक प्रतिबंध जारी करने वाले निर्देश के निहितार्थों को देखते हुए, हमारा विचार है कि निर्देश को वापस लेने की आवश्यकता है और यदि एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाती है तो यह उचित होगा। समिति एक ओर जीआईबी के संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित कर सकती है, जिस पर बातचीत नहीं की जा सकती है, साथ ही विशेष रूप से सतत विकास की आवश्यकता के साथ। दूसरी ओर, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने की दिशा में देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के संदर्भ में। वैज्ञानिक विशेषज्ञता का लाभ उठाकर और हितधारकों को सार्थक परामर्श में शामिल करके, यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि संरक्षण प्रयास साक्ष्य पर आधारित हों और विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें।

62. तदनुसार हमारा मानना है कि इस न्यायालय द्वारा 19 अप्रैल 2021 को पारित आदेश में उचित संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। इस न्यायालय द्वारा निर्देशित प्रकृति की उच्च वोल्टेज और निम्न वोल्टेज बिजली लाइनों को भूमिगत करने के लिए एक व्यापक निर्देश को ऊपर चर्चा किए गए कारणों से पुनर्संतुलन की आवश्यकता होगी। न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णय के बजाय इस कार्य को डोमेन विशेषज्ञों पर छोड़ देना सबसे अच्छा है। विशेषज्ञ इलाके, जनसंख्या घनत्व और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं जैसे कारकों पर विचार करते हुए विशिष्ट क्षेत्रों में बिजली लाइनों को भूमिगत करने की व्यवहार्यता का आकलन कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण प्रत्येक स्थान की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप अधिक सूक्ष्म निर्णय लेने की अनुमति देता है, यह सुनिश्चित करता है कि संरक्षण उद्देश्यों को एक स्थायी तरीके से पूरा किया जाए।

63. सुनवाई के दौरान, हमने याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान, भारत के अटॉर्नी जनरल श्री आर. वेंकटरमानी, भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री ऐश्वर्या भाटी से अनुरोध किया था कि वे समिति के गठन के लिए विशेषज्ञों के नाम प्रस्तावित करें, जो न्यायालय द्वारा उसे सौंपे गए कार्य को पूरा करेगी।

64. उनके सुझाव प्राप्त करने और उनका मूल्यांकन करने के बाद, हम एक विशेषज्ञ समिति का गठन करते हैं, जिसकी संरचना निम्नानुसार होगी:

- (i) निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून;
- (ii) डॉ. हरि शंकर सिंह, सदस्य, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड;
- (iii) डॉ. निरंजन कुमार वासु, पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक;
- (iv) श्री बी मजूमदार, पूर्व मुख्य वन्यजीव वार्डन और प्रधान मुख्य वन संरक्षक, महाराष्ट्र;
- (v) डॉ देवेश गढ़वी, उप निदेशक, कॉर्बेट फाउंडेशन।
- (vi) श्री ललित बोहरा, संयुक्त सचिव (हरित ऊर्जा गलियारा), नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय; तथा
- (vii) संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।

65. चूंकि समिति का कार्य, जैसा कि नीचे निर्दिष्ट किया गया है, सौर ऊर्जा उत्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना के क्षेत्र में भी होगा, हम निर्देश देते हैं कि समिति में निम्नलिखित दो विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल होंगे:

- (i) श्री अशोक कुमार राजपुर, सदस्य विद्युत प्रणाली, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण; तथा
- (ii) श्री पीसी गर्ग, मुख्य परिचालन अधिकारी, सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।

66. न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित शामिल होंगे:

क. राजस्थान और गुजरात राज्यों में भारतीय वन्य जीव संस्थान की रिपोर्टों में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में ओवरहेड और भूमिगत विद्युत लाइनों के दायरे, व्यवहार्यता और सीमा का निर्धारण करना;

ख. जीआईबी के साथ-साथ स्थलाकृति के लिए विशिष्ट अन्य जीवों के लिए संरक्षण और सुरक्षा उपायों को अपनाने की आवश्यकता;

ग. दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अपनाए जाने वाले उपायों की पहचान करना। जीआईबी के दीर्घकालिक अस्तित्व और इसकी आबादी में वृद्धि को सुगम बनाना। ऐसे उपायों में आवास बहाली, अवैध शिकार विरोधी पहल और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं;

घ. जीआईबी आवासों पर जलवायु परिवर्तन के संभावित परिणामों का मूल्यांकन करना, वर्षा पैटर्न में बदलाव, तापमान चरम सीमा, आवास क्षरण जैसे कारकों पर विचार करना और उनकी लचीलापन बढ़ाने के लिए अनुकूली प्रबंधन रणनीतियों का विकास करना;

ई. भविष्य में बिजली की लाइनें बिछाने के मामले में सतत विकास के संदर्भ में उपयुक्त विकल्पों की पहचान। पहचाने गए विकल्पों में जीआईबी के संरक्षण और सुरक्षा को बिजली लाइनों की व्यवस्था के साथ इस तरह से संतुलित किया जाना चाहिए जिससे भारत द्वारा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के विकास के लिए की गई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सुविधा हो। एफ. संरक्षण और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इनपुट प्राप्त करने, आम सहमति बनाने और सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी एजेंसियों, पर्यावरण

संगठनों, वन्यजीव जीवविज्ञानियों, स्थानीय समुदायों और ऊर्जा उद्योग के प्रतिनिधियों सहित प्रासंगिक हितधारकों के साथ जुड़ना;

जी. वैश्विक स्तर पर समान संदर्भों में संरक्षण प्रयासों और नवीन दृष्टिकोणों की गहन समीक्षा करना, जैसे कि मध्य पूर्व में होउबारा बस्टर्ड या न्यूजीलैंड में ब्लैक स्टिल्ट, ताकि सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी मिल सके;

एच. जीआईबी आबादी, आवास गतिशीलता और समय के साथ संरक्षण उपायों की प्रभावशीलता को ट्रैक करने के लिए एक मजबूत निगरानी और अनुसंधान कार्यक्रम को लागू करना। इसमें सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक डेटा एकत्र करने के लिए उपग्रह ट्रैकिंग, कैमरा ट्रैपिंग और पारिस्थितिक सर्वेक्षण जैसी तकनीकों को नियोजित करना शामिल हो सकता है; और

i. प्राथमिकता और संभावित क्षेत्रों के संबंध में कोई भी अतिरिक्त उपाय अपनाना, जैसा कि समिति उचित समझे, जिसमें वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर मौजूदा और भविष्य की बिजली लाइनों पर पक्षी डायवर्टर स्थापित करने की प्रभावकारिता और उपयुक्तता पर विचार करना शामिल है। घटिया गुणवत्ता वाले घटिया पक्षी डायवर्टर की स्थापना से यह आभास होगा कि संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं, जबकि ऐसे प्रयास विफल होने के लिए अभिशप्त हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जीआईबी (निजी ऑपरेटरों सहित) से संबंधित किसी भी पक्ष द्वारा पक्षी डायवर्टर स्थापित करने के लिए समिति द्वारा दिया गया कोई भी निर्देश अपेक्षित मानक और गुणवत्ता के पक्षी डायवर्टर स्थापित करके लागू किया जाए। तदनुसार, यदि समिति का विचार है कि पक्षी डायवर्टर की स्थापना जीआईबी प्रजातियों के संरक्षण में सहायक होगी, तो उसे उच्च गुणवत्ता वाले पक्षी डायवर्टर के संकेतकों की पहचान करनी चाहिए और उन मापदंडों को निर्दिष्ट किया गया है जिन्हें उन्हें स्थापित किए जाने से पहले पूरा करना होगा। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय ने 'बर्ड फ़्लाइट डायवर्टर के लिए तकनीकी विनिर्देश' शीर्षक से एक दस्तावेज जारी किया है। ये विनिर्देश विशेष रूप से जीआईबी से संबंधित हैं। विभिन्न विद्युत पारेषण कंपनियों और अन्य संबंधित पक्षों को लिखे अपने अदिनांकित पत्र में, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने उल्लेख किया कि उसे शिकायतें मिली हैं कि स्थापित किए जा रहे बर्ड डायवर्टर की गुणवत्ता असंतोषजनक है। इसने पतेदारों से उच्च गुणवत्ता वाले डायवर्टर स्थापित करने का भी अनुरोध किया। पत्र का प्रासंगिक भाग नीचे उद्धृत किया गया है:

“हमें शिकायत/प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है कि लाइनों पर खराब गुणवत्ता वाले बर्ड फ़्लाइट डायवर्टर लगाए जा रहे हैं और कभी-कभी बर्ड डायवर्टर की डिस्क खेतों और ट्रांसमिशन लाइनों के नीचे ज़मीन में बिखरी हुई पाई जाती है, जो उत्पाद की खराब गुणवत्ता, निर्माता द्वारा अपर्याप्त डिज़ाइन, अनुभवी जनशक्ति की कमी के कारण ठीक से स्थापित नहीं होने आदि के कारण हो सकता है। CEA के “बर्ड फ़्लाइट डायवर्टर के लिए तकनीकी विनिर्देश” उपयोगिताओं और निर्माताओं के परामर्श के बाद तैयार किए गए थे।

दस्तावेज़ में निर्दिष्ट किया गया है कि बर्ड फ़्लाइट डायवर्टर का न्यूनतम अपेक्षित सेवा जीवन कम से कम 15 वर्ष होना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपूर्ति किया गया बर्ड डायवर्टर अच्छी गुणवत्ता का है, विभिन्न परीक्षण भी निर्दिष्ट किए गए हैं। विलुप्त होने के कगार पर पहुँच चुके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और अन्य पक्षियों की सुरक्षा के लिए, आपसे अनुरोध है कि आवश्यक कार्रवाई करें ताकि अच्छी गुणवत्ता वाले बर्ड फ़्लाइट डायवर्टर लगाए जाएँ जो पूरे जीवन के लिए टिकाऊ और प्रभावी हों और अनुभवी पेशेवरों द्वारा लगाए जाएँ ताकि ये डायवर्टर अपने निर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा कर सकें।”

67. समिति पक्षी विवर्तकों की प्रभावकारिता का आकलन करने तथा प्रभावकारिता पर अपने निष्कर्षों के अधीन, पक्षी विवर्तकों के लिए उचित विनिर्देश निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होगी। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट मापदंडों के संबंध में समिति को पक्षियों के संरक्षण के प्रयासों के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक पक्षियों को मोड़ने वाले उपकरणों की संख्या की भी पहचान करनी होगी। इस संबंध में समिति विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 27 मई 2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 25-7/42/2019 – पीजी द्वारा गठित तकनीकी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर भी विचार कर सकती है।

68. प्राथमिकता और संभावित क्षेत्रों के रूप में वर्णित क्षेत्र के संबंध में 19 अप्रैल 2021 के आदेश में जो निषेधाज्ञा लगाई गई है, उसे इस शर्त के अधीन वापस ले लिया जाएगा कि इस न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति प्राथमिकता और संभावित दोनों क्षेत्रों को कवर करते हुए उपयुक्त मापदंड निर्धारित कर सकती है।

69. यदि समिति ऐसा करना उचित और आवश्यक समझती है, तो वह इस न्यायालय को GIB के संरक्षण को बढ़ाने के लिए आवश्यक किसी भी अन्य उपाय की सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र होगी। इसमें ऊपर उल्लिखित निर्दिष्ट प्राथमिकता क्षेत्रों से परे उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करना और उन्हें जोड़ना शामिल हो सकता है, यदि उन्हें प्रजातियों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे अतिरिक्त क्षेत्र GIB के लिए महत्वपूर्ण आवास, गलियारे या प्रजनन स्थल के रूप में काम कर सकते हैं, जो इसके दीर्घकालिक अस्तित्व में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

70. हम समिति से अनुरोध करते हैं कि वह अपना कार्य पूरा करे और 31 जुलाई 2024 तक या उससे पहले केंद्र सरकार के माध्यम से इस न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

71. अपने हलफनामे में भारत संघ ने अब तक उठाए गए कदमों का विस्तृत ब्यौरा दिया है और भविष्य में कई उपायों को लागू करने का भी वादा किया है, जिनका उद्देश्य गंभीर रूप से संकटग्रस्त जीआईबी को संरक्षित करना है। इनमें शामिल हैं:

क. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जीआईबी परियोजना को क्रियान्वित किया है, जो बंदी नस्ल के पक्षियों को छोड़ने के लिए आवास उपलब्ध कराने और संरक्षित करने के लिए बाह्य संरक्षण उपाय करती है। राजस्थान के अलावा अन्य रेंज राज्यों में इन्सुलेशन प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाएंगे जहां वे वर्तमान में मौजूद नहीं हैं। इन-सीटू संचालन मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य, राजस्थान, कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य, गुजरात, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य, महाराष्ट्र, रोलापड़ अभयारण्य, आंध्र प्रदेश, रानेबेन्नूर अभयारण्य, कर्नाटक और घाटीगांव अभयारण्य, मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा;

ख. लोमड़ियों, नेवले, हाथी और मॉनिटर छिपकलियों सहित शिकारियों के प्रवेश को रोकने के लिए शिकारी-रोधी बाड़े विकसित किए जाएंगे। इन बाड़ों में मानवजनित गतिविधियाँ नहीं होंगी;

सी. क्षरित घास के मैदानों को पुनः स्थापित करने के लिए स्थानीय घास के बीज प्रसार का उपयोग किया जाएगा। इन घास के मैदानों को पानी की आपूर्ति की जाएगी;

घ. अवांछित और आक्रामक प्रजातियों को समाप्त किया जाएगा ताकि कैद से मुक्त किए गए जीआईबी के लिए घास के मैदानों को अधिक अनुकूल बनाया जा सके;

ई. जीआईबी की गतिविधि पर सैटेलाइट टेलीमेट्री का उपयोग करके निगरानी की जाएगी; एफ. चालू प्रशासन और रखरखाव में जल बिंदुओं और ऐतिहासिक निगरानी टावरों की मरम्मत और बहाली के साथ-साथ मौजूदा बाड़ और अग्नि रेखाओं का रखरखाव शामिल होगा;

ग. संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालने के लिए 'राष्ट्रीय बस्टर्ड दिवस' मनाया जाएगा;

एच. क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और वैज्ञानिक संगठनों के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा, जीआईबी के संरक्षण के उद्देश्य से की जाने वाली पहलों में स्थानीय हितधारकों को शामिल किया जाएगा और संबंधित क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम लागू किए जाएंगे;

i. चूँकि संबंधित क्षेत्र के अधिकांश गाँव और बस्तियाँ चारे की आपूर्ति के लिए घास के मैदानों पर निर्भर हैं, इसलिए इन भूमियों में चरागाहों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। इन भूमियों को पुनर्जीवित किया जाएगा और चारा प्रबंधन की नवीन रणनीतियों को लागू किया जाएगा; और

j. ऊपर वर्णित संरक्षण गतिविधियाँ 1 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से बढ़ाई जाएँगी और कम से कम दस वर्षों तक जारी रहेंगी।

72. भारत संघ और संबंधित मंत्रालयों को पिछले पैराग्राफ में वर्णित उपायों को लागू करने का निर्देश दिया जाता है, जिन्हें लागू करने का काम उसने किया है। इसके अलावा, उन्हें इस फैसले के पैराग्राफ 8(डी) में विस्तृत उपायों को लागू करना जारी रखने का निर्देश दिया जाता है। तदनुसार, 19 अप्रैल 2021 के आदेश में निहित निर्देश वर्तमान फैसले में निहित निर्देशों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 19 अप्रैल

2021 के आदेश के अनुसार नियुक्त पिछली समिति की सिफारिशों के अनुसार दी गई परियोजना मंजूरी वर्तमान फैसले से प्रभावित नहीं होगी।

73. यह न्यायालय 19 अप्रैल 2021 के आदेश के अनुसार नियुक्त समिति द्वारा किए गए कार्य की सराहना करता है।

74. वर्तमान निर्णय के अनुसार नियुक्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार हेतु अगस्त 2024 के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध करें।

..... मुख्य न्यायाधीश

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़]

..... जे [जेबी पारदीवाला]

..... जे [मनोज मिश्रा]

नई दिल्ली

21 मार्च, 2024

1 “जीआईबी”

2 आईयूसीएन रेड लिस्ट, ‘ग्रेट इंडियन बस्टर्ड’ <<https://www.iucnredlist.org/species/22691932/134188105#population>>
<<https://www.iucnredlist.org/species/22691932/134188105#population>>

3 राजस्थान सरकार, वन विभाग, ‘प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड’
<<https://forest.rajasthan.gov.in/content/raj/forest/en/footer/nav/departments/project-great-indian-bustard.html>>

4 IUCN रेड लिस्ट (n 2)।

5 “यूएनएफसीसीसी”

6. “WII”

7 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन: संकल्प / महासभा द्वारा अपनाया गया (20 जनवरी 1994 को अपनाया गया)।

8 वही, अनुच्छेद 2.

9 वही, अनुच्छेद 3(1)।

10 वही, अनुच्छेद 3(3)।

11. “दोहा क्लाइमेट गेटवे” 12 पार्टियों का सम्मेलन, पेरिस समझौते को अपनाना (12 दिसंबर 2015 को अपनाया गया)। संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़। FCCC/CP/2015/L.9/Rev/1.

12 पार्टियों का सम्मेलन, पेरिस समझौते को अपनाना (12 दिसंबर 2015 को अपनाया गया)। संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़। FCCC/CP/2015/L.9/Rev/1.

13 “पेरिस समझौता”

14 यूएनएफसीसीसी, पेरिस समझौते के तहत भारत का अद्यतन पहला राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (2021-2030) देखें।
<https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/202208/India%20Updated%20First%20Nationally%20Determined%20Contrib.pdf>

15 ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001, धारा 14 (डब्ल्यू)।

16 (2000) 6 एससीसी 213।

17 (1995) 2 एससीसी 577।

18 (2006) 6 एससीसी 371.

19 (2006) 3 एससीसी 434.

20 संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय के व्यापक स्पेक्ट्रम को प्रभावित करता है, पाँच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संधि निकायों ने मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त बयान जारी किया, 16 सितंबर 2019।
<<https://www.ohchr.org/en/statements/2019/09/five-un-human-rights-treaty-bodies-issue-joint-statement-human-rights-and>>।

21 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय, मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन को समझना। 26 नवंबर 2015 को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षों के 21 वें सम्मेलन में मानवाधिकारों के लिए उच्चायुक्त के कार्यालय की प्रस्तुति।

22 एम. बर्गर और जे. वेन्टज़ (संपादक), जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार, यूएनईपी: दिसंबर 2015, पृष्ठ 11, 19.
<wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/9934>

23 जेएच नॉक्स द्वारा मान्यता दी गई थी, एक सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण के आनंद से संबंधित मानवाधिकार दायित्वों के मुद्दे पर विशेष रैपोर्टर की रिपोर्ट, मानवाधिकार परिषद, 24 जनवरी 2018 के ए/एचआरसी/37/59 (<undocs.org/A/HRC/37/59 पर उपलब्ध; डीआर बॉयड को भी देखें, जलवायु परिवर्तन से संबंधित मानवाधिकार दायित्वों पर वक्तव्य, जीवन के अधिकार पर विशेष ध्यान देने के साथ, 25 अक्टूबर 2018, पृष्ठ 2 -8।

24 “आईएसीटीएचआर”

- 25 एम. वेवरिके-सिंह, राज्य की जिम्मेदारी, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मानवाधिकार, ऑक्सफोर्ड आदि: हार्ट 2019, पृष्ठ 108-109 और 130।
- 26 मानवाधिकार और पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक (1994) ई/सीएन.4/उप.2/1994/9, परिशिष्ट।
- 27 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य, एसडीजी 7 में तेजी, उपलब्धि नीति संक्षिप्त - 12 एसडीजी 7 की वैश्विक प्रगति - ऊर्जा और लिंग, संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच। 2018.
<<https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17489PB12.pdf>>
- 28 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सौर अवलोकन (2023) के अनुरूप है। संदर्भ REN21 की वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2023 और IRENA की नवीकरणीय क्षमता सांख्यिकी 2023 भी देखें।
- 29 "एनएसएम"
- 30 IRENA, 'नवीकरणीय क्षमता सांख्यिकी 2023'। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, अबू धाबी।
<<https://www.irena.org/Publications/2023/Mar/Renewable-capacity-statistics-2023>>
- 31 "आईएसए"
- 32 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, 'पृष्ठभूमि' देखें<<https://isolaralliance.org/about/background>>
- 33 "एलडीसी"
- 34 "एसआईडीएस"
- 35 "ओएसओडब्लूओजी"
- 36 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, 'वार्षिक रिपोर्ट 2020', पृ. 4.
<<https://isolaralliance.org/uploads/docs/20469ea05e2b897ca9ffec8a17273f.pdf> >
- 37 "जीजीआई"
- 38 नवीन अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, ग्रीन ग्रिड पहल-एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड नॉर्थवेस्ट यूरोप सहकारी कार्यक्रम, (2022)
<<https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1763712>>
- 39 इन्वेस्ट इंडिया देखें, 'एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड: स्थिरता को सशक्त बनाना', 10 जनवरी 2024।
<<https://www.investindia.gov.in/team-india-blogs/one-sun-one-world-one-grid-empowering-sustainability>>
- 40 जे सेटज़र और आर बायर्न्स, 'जलवायु परिवर्तन मुकदमेबाजी में वैश्विक रुझान: 2023 स्नैपशॉट', लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, (2023)।<https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wpcontent/uploads/2023/06/Global_trends_in_climate_change_litigation_2023_snapshot.pdf>
- 42 नीदरलैंड्स राज्य (आर्थिक मामलों और जलवायु नीति मंत्रालय) बनाम उर्जेडा फाउंडेशन, एचआर 20 दिसंबर 2019, ईसीएलआई: एनएल: एचआर: 2019: 2006, पैरा 2.1
- 43 मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए सम्मेलन (मानव अधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन, संशोधित), कला 2।
- 44 वही, अनुच्छेद 8.
- 45 "ईसीएचआर"
- 46 वही.
- 47 वही। पैरा 5.2.3।
- 48 बाल अधिकार समिति, सैची एट अल. बनाम अर्जेटीना (निर्णय), 22 सितंबर 2021, सीआरसी/सी/88/डी/104/2019।
- 49 "सीआरसी"
- 50 "यूएनसीआरसी"
- 51 [2015] एनजेडएससी 107।
- 52 (2008) 13 एससीसी 30
- 53 इस न्यायालय के विभिन्न अन्य निर्णयों द्वारा इस स्थिति को दोहराया गया है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ, (2014) 5 एससीसी 438 देखें।
- 54 (1999) 1 एससीसी 759।